रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-06052021-226859
CG-MH-E-06052021-226859

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 187] नई दिल्ली, बुधवार, मई 5, 2021/वैशाख 15, 1943
No. 187] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 5, 2021/VAISAKHA 15, 1943

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 5 मई, 2021

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

[सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021

सं. सेबी/ एल.ए.डी.-एन.आर.ओ/जी.एन./2021/22.—बोर्ड, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 31 के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11, धारा 11क की उप-धारा (2) तथा धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021 कहा जा सकेगा।

2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त (लागू) होंगे।

3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 में,-

I. विनियम 2 में,

i. उप-विनियम (1) में,

क. शब्द, चिह्न तथा अंक "भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2009", जहाँ कहीं भी दिए हुए हों, शब्दों, चिह्नों तथा अंक "भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018" से प्रतिस्थापित हो जाएंगे।

ख. खंड (द) में, अंक, अक्षर तथा चिह्न "106ढ" और "(क)", क्रमश: अंक, चिह्नों तथा अक्षरों "2" और "(ङङ)" से प्रतिस्थापित हो जाएंगे।

ग. खंड (फ) में, चिह्न तथा अक्षर "(भ)", चिह्नों तथा अक्षरों "(टट)" से प्रतिस्थापित हो जाएंगे।

घ. खंड (ब) में, चिह्न तथा अक्षर "(यक)" और "(यख)", क्रमश: चिह्नों तथा अक्षरों "(णण)" और "(तत)" से प्रतिस्थापित हो जाएंगे।

ङ. खंड (यझ) में, अक्षर "Xख", अक्षर "IX" से प्रतिस्थापित हो जाएंगे।

च. खंड (यञ) में, अंक, अक्षर तथा चिह्न "106ढ" और "(ग)", क्रमश: अंक, चिह्नों तथा अक्षरों "2" और "(घघघ)" से प्रतिस्थापित हो जाएंगे।

छ. खंड (यठ) में, चिह्न तथा अक्षर "(यञ)", चिह्नों तथा अक्षरों "(ङङङ)" से प्रतिस्थापित हो जाएंगे।

ज. खंड (यड) के पश्चात्, एक नया खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

"(यढ) "कार्य-दिवसों" से उस स्टॉक एक्सचेंज के कार्य-दिवस अभिप्रेत हैं, जहाँ एंटिटी की प्रतिभूतियाँ (सिक्यूरिटीज़) सूचीबद्ध (लिस्टिड) हों।"

II. विनियम 3 में,

i. विनियम 3 का मौजूदा प्रावधान उप-विनियम (1) के रूप में संख्यांकित हो जाएगा।

ii. नए संख्यांकित उप-विनियम (1) के तहत, खंड (क) में, शब्द तथा चिह्न "संस्थागत व्यापारिक प्लेटफार्म (इंस्टिट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफार्म)", शब्दों "इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म" से प्रतिस्थापित हो जाएंगे।

iii. नए संख्यांकित उप-विनियम (1) के पश्चात्, एक नया उप-विनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

"(2) इन विनियमों के जो प्रावधान बाजार पूँजीकरण (मार्केट कैपिटलाइज़ेशन) के मानदंड के आधार पर सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटियों के लिए लागू हो जाएं, वे ऐसी एंटिटियों का बाजार पूँजीकरण निर्धारित सीमा-रेखा से कम हो जाने पर भी उन पर लागू रहेंगे।"

III. विनियम 4 में, उप-विनियम (2) में, खंड (घ) में, उप-खंड (iv) में, शब्द तथा चिह्न "पर्दाफाश किए जाने (विसल ब्लोअर) संबंधी एक ऐसी प्रभावी व्यवस्था तैयार करेगी", शब्दों तथा चिह्नों "सतर्कता संबंधी ऐसी कारगर व्यवस्था करेगी / पर्दाफाश किए जाने (विसल ब्लोअर) संबंधी एक ऐसी कारगर नीति बनाएगी" से प्रतिस्थापित हो जाएंगे।

IV. विनियम 7 में, उप-विनियम (3) में, शब्द "प्रत्येक छमाही की समाप्ति के एक महीने", शब्दों "समाप्ति की तारीख से तीस दिनों" से प्रतिस्थापित हो जाएंगे।

V. विनियम 15 में,

i. उप-विनियम (1) में, शब्द तथा चिह्न "संस्थागत व्यापारिक प्लेटफार्म (इंस्टिट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफार्म)", शब्दों "इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म" से प्रतिस्थापित हो जाएंगे।

ii. उप-विनियम (2) में,

क. शब्दों, अक्षरों तथा चिह्नों "खंड (ख) से (झ)" के पश्चात्, शब्द, अक्षर तथा चिह्न "एवं (न)" अंत:स्थापित किए जाएंगे।

ख. खंड (क) में, मौजूदा परंतुक निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

"परंतु यह कि जहाँ विनियम 17 से 27, विनियम 46 के उप-विनियम (2) के खंड (ख) से (झ) एवं खंड (न) तथा अनुसूची-V के पैरा ग, घ एवं ङ के प्रावधान किसी सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटी पर बाद में किसी तारीख को लागू हो जाएँ, वहाँ यह ऐसी तारीख से छह महीनों के भीतर इनका पालन सुनिश्चित करेगी।"

ग. खंड (क) में, मौजूदा परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित नया परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

"परंतु यह और कि एक बार जब उपरोक्त विनियम (रेग्यूलेशन) सूचीबद्ध एंटिटी पर लागू हो जाएँ, तो ऐसे में यदि लगातार तीन वित्तीय वर्षों तक ऐसी एंटिटी की इक्विटी शेयर पूँजी या शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ) निर्धारित सीमा-रेखा से कम भी बनी रहती है तब भी वे लागू रहेंगे।"

घ. खंड (ख) में दिए हुए परंतुक का 1 सितम्बर, 2021 से लोप हो जाएगा।

VI. विनियम 17क में, खंड (2) के पश्चात् दिया हुआ पैरा "स्पष्टीकरण" के रूप में बदल जाएगा और पैरा में दिया हुआ शब्द "उप-विनियम", शब्द "विनियम" से प्रतिस्थापित हो जाएगा।

VII. विनियम 21 में,

i. मौजूदा उप-विनियम (2) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

"जोखिम प्रबंधन समिति में कम से कम तीन सदस्य होंगे जिनमें से अधिकांश निदेशक मंडल (निदेशक बोर्ड / बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स) के सदस्य होंगे और जिनमें कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक होगा, और बकाया एसआर इक्विटी शेयरों वाली सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटी के मामले में जोखिम प्रबंधन समिति में कम से कम दो-तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होंगे।"

ii. उप-विनियम (3क) में, शब्द "एक बार", शब्दों "दो बार" से प्रतिस्थापित हो जाएंगे।

iii. उप-विनियम (3क) के पश्चात् और उप-विनियम (4) से पूर्व, निम्नलिखित नए विनियम (3ख) और (3ग) अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्,-

"(3ख) जोखिम प्रबंधन समिति की बैठक के लिए कोरम या तो समिति के दो सदस्यों का होगा या समिति के एक-तिहाई सदस्यों का होगा, जो भी अधिक हो, किंतु निदेशक मंडल (निदेशक बोर्ड) का कम से कम एक सदस्य बैठक में उपस्थित होना चाहिए।

(3ग) जोखिम प्रबंधन समिति की बैठकें इस प्रकार आयोजित की जाएंगी कि दो बैठकों के बीच एक सौ अस्सी दिनों से अधिक का फासला न रहे।"

iv. उप-विनियम (4) के पश्चात्, निम्नलिखित नया परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

"परंतु यह कि जोखिम प्रबंधन समिति की भूमिका और जिम्मेदारियों में उन कार्यों को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए, जिनका उल्लेख अनुसूची-II के भाग-घ में है।"

v. उप-विनियम (5) में, अंक "500", अंक "1000" से प्रतिस्थापित हो जाएगा।

vi. उप-विनियम (5) के पश्चात्, निम्नलिखित नया उप-विनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

"(6) जोखिम प्रबंधन समिति के पास किसी भी कर्मचारी से जानकारी मांगने, बाहर से कानूनी सलाह लेने या अन्य पेशेवर सलाह लेने की शक्तियाँ होंगी और संबंधित विशेषज्ञता रखने वाले किन्हीं बाहरी व्यक्तियों को समिति की बैठकों में बुलाने की शक्तियाँ होंगी, यदि समिति को ऐसा करना जरूरी लगे।"

VIII. विनियम 22 में, उप-विनियम (1) में, शब्दों "सतर्कता संबंधी व्यवस्था" के पश्चात्, चिह्न और शब्द "(विजिल मैकेनिज़्म) / पर्दाफाश किए जाने संबंधी नीति (विसल ब्लोअर पॉलिसी)" अंत:स्थापित किए जाएंगे।

IX. विनियम 24 में, उप-विनियम (5) में, शब्दों "पचास प्रतिशत से कम" के पश्चात् और शब्दों "हो जाए" से पूर्व, शब्द "या के बराबर" अंत:स्थापित किए जाएंगे।

X. विनियम 24क में,

i. शीर्षक में, शब्दों "सेक्रेटेरियल ऑडिट" के पश्चात्, शब्द "और सेक्रेटेरियल कंप्लायंस रिपोर्ट" अंत:स्थापित किए जाएंगे।

ii. विनियम 24क का मौजूदा प्रावधान उप-विनियम (1) के रूप में संख्यांकित हो जाएगा और जो निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

"(1) प्रत्येक सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटी तथा भारत में निगमित उसकी असूचीगत महत्त्वपूर्ण समनुषंगियाँ (मटिरियल अनलिस्टिड सब्सिडयरीज़) सेक्रेटेरियल ऑडिट करवाएँगी और पेशेवर कंपनी सचिव (कंपनी सेक्रेटरी) द्वारा दी गई सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट [यथा निर्धारित फॉर्म में] सूचीबद्ध एंटिटी की वार्षिक रिपोर्ट के साथ लगाएँगी।"

iii. नए संख्यांकित उप-विनियम (1) के पश्चात्, एक नया उप-विनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

"(2) प्रत्येक सूचीबद्ध एंटिटी, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तारीख से साठ दिनों के भीतर, स्टॉक एक्सचेंजों के पास सेक्रेटेरियल कंप्लायंस रिपोर्ट [यथा निर्धारित फॉर्म में] प्रस्तुत करेगी।"

XI. विनियम 25 में, उप-विनियम (3) में, शब्द "एक" के पश्चात् और शब्दों "वर्ष में" से पूर्व, शब्द "वित्तीय" अंत:स्थापित किया जाएगा।

XII. विनियम 26 में, उप-विनियम (4) का लोप हो जाएगा।

XIII. विनियम 27 में, उप-विनियम (2) में, खंड (क) में, शब्द "तिमाही की समाप्ति से पंद्रह दिनों", शब्दों "प्रत्येक तिमाही की समाप्ति से इक्कीस दिनों" से प्रतिस्थापित हो जाएंगे।

XIV. विनियम 29 में, उप-विनियम (1) में, खंड (च) में, शब्दों और चिह्नों "जहाँ ऐसे प्रस्ताव की सूचना सूचीबद्ध एंटिटी के निदेशक बोर्ड को कार्यसूची (एजेंडा पेपर) के भागस्वरूप दी जाती है:" का लोप हो जाएगा।

XV. विनियम 30 में, उप-विनियम (6) में, दूसरे परंतुक में, शब्द "बोर्ड की बैठक समाप्त होने के तीस मिनटों", शब्दों "उसमें निर्धारित समय-सीमा" से प्रतिस्थापित हो जाएंगे।

XVI. विनियम 31क में,

i. उप-विनियम (3) और खंड (क) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएंगे, अर्थात्,-

"(3) स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा संप्रवर्तक (प्रोमोटर) से जनता (पब्लिक) के रूप में पुन:वर्गीकरण की अनुमति निम्नलिखित शर्तें पूरी किए जाने के बाद ही दी जाएगी:

(क) सूचीबद्ध एंटिटी द्वारा पुन:वर्गीकरण के लिए आवेदन स्टॉक एक्सचेंजों के पास, साधारण बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी (के अनुमोदन) की तारीख से तीस दिनों के भीतर, यह सुनिश्चित करने के बाद किया गया हो कि प्रक्रिया से संबंधित निम्नलिखित अपेक्षाएँ पूरी कर ली गई हैं:

(i) पुन:वर्गीकरण चाहने वाला (वाले) संप्रवर्तक (संप्रवर्तकों) [प्रोमोटर] ने सूचीबद्ध एंटिटी के पास पुन:वर्गीकरण के लिए निवेदन (तर्काधार बताते हुए) किया हो और साथ ही यह भी बताया हो कि इस विनियम के उप-विनियम (3) के खंड (ख) में दी हुई शर्तों को कैसे पूरा किया गया;

(ii) सूचीबद्ध एंटिटी के निदेशक मंडल (निदेशक बोर्ड) ने ठीक बाद वाली बोर्ड की बैठक में या उसके संप्रवर्तक (संप्रवर्तकों) से निवेदन प्राप्त होने की तारीख से तीन महीनों के भीतर, जो भी पहले हो, ऐसे निवेदन का विश्लेषण कर लिया हो, और जिसे साधारण बैठक में शेयरधारकों के समक्ष मंजूरी (अनुमोदन) के लिए रखा गया हो और ऐसा करते

समय यह भी जाहिर कर दिया गया हो कि ऐसे निवेदन के संबंध में निदेशक मंडल के क्या विचार हैं:

परंतु यह कि पुन:वर्गीकरण चाहने वाले संप्रवर्तक (संप्रवर्तकों) के निवेदन पर विचार करने के लिए बुलाई जाने वाली बोर्ड की बैठक और शेयरधारकों की बैठक की तारीखों के बीच कम से कम एक महीने का अंतर हो, किंतु यह अंतर तीन महीनों से अधिक का न हो।

(iii) पुन:वर्गीकरण चाहने वाले संप्रवर्तक (संप्रवर्तकों) के निवेदन को उस साधारण बैठक में साधारण संकल्प (रेज़ोल्यूशन) के माध्यम से मंजूरी प्रदान की गई हो, जिसमें पुन:वर्गीकरण चाहने वाले संप्रवर्तक (संप्रवर्तकों) तथा उससे संबंधित व्यक्तियों ने पुन:वर्गीकरण के ऐसे निवेदन को मंजूरी प्रदान किए जाने के संबंध में मत न डाले हों:

परंतु यह कि इस उप-खंड के प्रावधान उन मामलों में लागू नहीं होंगे:

(क) जहाँ पुन:वर्गीकरण चाहने वाले संप्रवर्तक (संप्रवर्तकों) और पुन:वर्गीकरण चाहने वाले संप्रवर्तक (संप्रवर्तकों) से संबंधित व्यक्तियों के पास, मिलाकर, उस सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटी में कुल मताधिकारों का एक प्रतिशत से अधिक न हो;

(ख) जहाँ पुन:वर्गीकरण तलाक होने के बाद किया गया हो ।"

ii. उप-विनियम (9) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

"(9) इस विनियम के उप-विनियम (3), उप-विनियम (4) और उप-विनियम (8) के खंड (क) एवं खंड (ख) के प्रावधान (उपबंध) तब लागू नहीं होंगे, जब संप्रवर्तक (संप्रवर्तकों) का पुन:वर्गीकरण दिवाला संहिता (इन्सॉल्वेन्सी कोड) की धारा 31 के तहत मंजूर की गई समाधान योजना (रेज़ोल्यूशन प्लान) के अनुसार होता हो या किसी कानून के तहत किसी विनियामक (रेग्यूलेटर) के आदेश के अनुसरण में होता हो बशर्ते कि पुन:वर्गीकरण चाहने वाले ऐसे संप्रवर्तक (संप्रवर्तकों) के हाथों में सूचीबद्ध एंटिटी का नियंत्रण न रहे ।"

iii. उप-विनियम (9) के पश्चात्, एक नया उप-विनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

"(10) खुले प्रस्ताव (ओपन ऑफर) या इंतजाम की स्कीम (स्कीम ऑफ अरेंजमेंट) के अनुसरण में किए जाने वाले पुन:वर्गीकरण के मामले में, इस विनियम के उप-विनियम (3) के खंड (क) और उप-विनियम (8) के खंड (क) एवं खंड (ख) के प्रावधान तब लागू नहीं होंगे, जब पहले वाले संप्रवर्तक (संप्रवर्तकों) का इरादा (पुन:वर्गीकरण करने का) प्रस्ताव-पत्र (लेटर ऑफ ऑफर) या इंतजाम की स्कीम में प्रकट (डिस्क्लोज़) किया जा चुका हो:

परंतु यह कि इस विनियम के उप-विनियम (3) के खंड (ग)(i) के प्रावधान खुले प्रस्ताव (ओपन ऑफर) के अनुसरण में किए जाने वाले पुन:वर्गीकरण के मामले में लागू नहीं होंगे ।"

XVII. विनियम 32 में,

i. उप-विनियम (6) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

"(6) जहाँ सूचीबद्ध एंटिटी ने सार्वजनिक निर्गम (पब्लिक इश्यू) या साधिकार निर्गम (राइट्स इश्यू) से आए पैसे (आगमों / प्रोसीड्स) के इस्तेमाल पर नज़र रखने के लिए अनुश्रवण (मॉनीटरिंग) एजेंसी को नियुक्त किया हुआ हो, वहाँ सूचीबद्ध एंटिटी अनुश्रवण (मॉनीटरिंग) एजेंसी से प्राप्त टिप्पणियाँ या रिपोर्ट, प्रत्येक तिमाही की समाप्ति की तारीख से पैंतालीस दिनों के भीतर, स्टॉक एक्सचेंज (स्टॉक एक्सचेंजों) के पास प्रस्तुत करेगी ।"

ii. उप-विनियम (7) में, स्पष्टीकरण निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

"स्पष्टीकरण.- उप-विनियम (6) और उप-विनियम (7) के प्रयोजनार्थ, "अनुश्रवण (मॉनीटरिंग) एजेंसी" से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018 में यथा उल्लिखित अनुश्रवण (मॉनीटरिंग) एजेंसी अभिप्रेत होगी।"

XVIII. विनियम 33 में, उप-विनियम (6) का लोप हो जाएगा।

XIX. विनियम 34 में, उप-विनियम (2) में, मौजूदा खंड (च) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

"(च) बाजार पूंजीकरण (मार्केट कैपिटलाइज़ेशन) के आधार पर निर्धारित शीर्ष एक हजार सूचीबद्ध एंटिटियों के लिए, बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गए फॉर्मेट में कारबार जिम्मेदारी संबंधी रिपोर्ट (बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट), जिसमें पर्यावरण, समाज और संचालन (शासन / गवर्नेंस) के परिप्रेक्ष्य में सूचीबद्ध एंटिटी द्वारा उठाए गए कदमों का विवरण दिया गया हो:

परंतु यह कि कारबार जिम्मेदारी संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत करने संबंधी अपेक्षा वित्तीय वर्ष 2021-22 के बाद से समाप्त हो जाएगी और उसके बाद, वित्तीय वर्ष 2022-23 से, बाजार पूंजीकरण के आधार पर निर्धारित शीर्ष एक हजार सूचीबद्ध एंटिटियाँ बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जाने वाले फॉर्मेट में 'बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनबिलिटी रिपोर्ट' प्रस्तुत करेंगी:

परंतु यह और कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान भी, शीर्ष एक हजार सूचीबद्ध एंटिटियाँ कारबार जिम्मेदारी संबंधी रिपोर्ट (बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट) की जगह स्वैच्छिक आधार पर 'बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनबिलिटी रिपोर्ट' प्रस्तुत कर सकेंगी:

परंतु यह और कि शेष सूचीबद्ध एंटिटियाँ [जिनमें वे एंटिटियाँ भी शामिल हैं जिन्होंने अपनी निर्धारित प्रतिभूतियाँ (सिक्यूरिटीज़) एसएमई एक्सचेंज पर सूचीबद्ध कराई हुई हैं] स्वैच्छिक आधार पर ऐसी रिपोर्टें प्रस्तुत कर सकेंगी।

स्पष्टीकरण.- इस खंड के प्रयोजनार्थ, बाजार पूँजीकरण की गणना प्रत्येक वित्तीय वर्ष की 31 मार्च तक की स्थिति के अनुसार की जाएगी।"

XX. विनियम 36 में,

i. उप-विनियम (3) में, खंड (ख) में, शब्द "उसकी" का लोप हो जाएगा।

ii. उप-विनियम (3) में, खंड (ङ) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

"(ङ) सूचीबद्ध एंटिटी में गैर-कार्यपालक निदेशकों (नॉन-एग्ज़िक्यूटिव डायरेक्टर्स) की शेयरधारिता, जिसमें हिताधिकारी स्वामी (बेनिफिशियल ओनर) के रूप में शेयरधारिता भी शामिल है।"

XXI. विनियम 37 में,

i. उप-विनियम (1), उप-विनियम (2) और उप-विनियम (3) में, शब्दों "संप्रेक्षण पत्र या", जहाँ कहीं भी आते हों, का लोप हो जाएगा।

ii. उप-विनियम (3) में, चिह्नों और शब्दों "'संप्रेक्षण पत्र' या" का लोप हो जाएगा।

XXII. विनियम 38 में, शब्द तथा चिह्न "संस्थागत व्यापारिक प्लेटफार्म (इंस्टिट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफार्म)", शब्दों "इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म" से प्रतिस्थापित हो जाएंगे।

XXIII. विनियम 40 में, उप-विनियम (9) में, शब्द "प्रत्येक छमाही की समाप्ति के एक महीने", शब्दों "समाप्ति के तीस दिनों" से प्रतिस्थापित हो जाएंगे।

XXIV. विनियम 43क में,

i. उप-विनियम (1) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

"(1) बाजार पूँजीकरण (मार्केट कैपिटलाइज़ेशन) [जिसकी गणना प्रत्येक वित्तीय वर्ष की 31 मार्च तक की स्थिति के अनुसार की जाती है] के आधार पर निर्धारित शीर्ष 1000 सूचीबद्ध (लिस्टिड)

एंटिटियाँ लाभांश वितरण नीति बनाएंगी, जिसे सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटी के वेबसाइट पर प्रकट (डिस्क्लोज़) किया जाएगा और जिसका वेब-लिंक उनकी वार्षिक रिपोर्टों में भी दिया जाएगा।"

ii. उप-विनियम (3) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

"(3) इस विनियम के उप-विनियम (1) में यथा निर्धारित सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटियों से भिन्न सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटियाँ अपनी लाभांश वितरण नीतियाँ स्वैच्छिक आधार पर अपने वेबसाइटों पर प्रकट (डिस्क्लोज़) कर सकेंगी और उनका वेब-लिंक अपनी वार्षिक रिपोर्टों में दे सकेंगी ।"

XXV. विनियम 44 में, उप-विनियम (3) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

"(3) सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटी, मतदान के परिणामों के ब्यौरे, अपनी साधारण बैठक के समाप्त होने की तारीख से दो कार्य-दिवसों के भीतर, बोर्ड द्वारा निर्धारित किए गए फॉर्मेट में स्टॉक एक्सचेंज के पास प्रस्तुत करेगी ।"

XXVI. विनियम 45 में, उप-विनियम (3) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

"(3) कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत नाम में परिवर्तन किए जाने के संबंध में दी हुई शर्तों का पालन करने के बाद, सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटी, नाम में परिवर्तन किए जाने के संबंध में शेयरधारकों की मंजूरी मांगे जाने से संबंधित सूचना (नोटिस) के व्याख्यात्मक विवरण (एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट) में पेशेवर चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रमाणपत्र [जिसमें इस बात का उल्लेख हो कि उप-विनियम (1) में दी हुई शर्तों का पालन कर लिया गया है] भी शामिल करेगी ।"

XXVII. विनियम 46 में,

i. उप-विनियम (2) में,

क) मौजूदा खंड (ण) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

"(ण) विश्लेषकों (एनालिस्ट) या संस्थागत निवेशकों (इंस्टिट्यूशनल इन्वेस्टर्स) की बैठक की समय-सारणी (कार्यक्रम-सूची) और सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटी द्वारा विश्लेषकों या संस्थागत निवेशकों को दिए गए प्रेजेंटेशन ।

स्पष्टीकरण: इस खंड के प्रयोजनार्थ, 'बैठक' से सामूहिक बैठकें (ग्रुप मीटिंग) या सामूहिक (ग्रुप) कॉन्फ्रेन्स कॉल अभिप्रेत होंगे, जिनमें मौजूदगी आमने-सामने रही हो या जिनका आयोजन डिजिटल माध्यमों के जरिए किया गया हो ।"

ख) खंड (ण) के पश्चात्, एक नया खंड (णक) अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

"(णक) *पोस्ट अर्निंग्स / क्वार्टर्ली कॉल* (जिनमें मौजूदगी आमने-सामने रही हो या जिनका आयोजन डिजिटल माध्यमों के जरिए किया गया हो), फिर चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाए, की ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग और ट्रांसक्रिप्ट, जिन्हें मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (स्टॉक एक्सचेंजों) के पास प्रस्तुत किए जाने के साथ-साथ:

(i) प्रेजेंटेशन और ऑडियो / वीडियो रिकॉर्डिंग वेबसाइट पर तुरंत उपलब्ध कराई जाएंगी और किसी भी दशा में, व्यापार के अगले दिन (अगले ट्रेडिंग डे) से पहले या ऐसे कॉल के समाप्त होने से चौबीस घंटों के भीतर, जो भी पहले हो;

(ii) ऐसे कॉल के ट्रांसक्रिप्ट, ऐसे कॉल के समाप्त होने की तारीख से पाँच कार्य-दिवसों के भीतर, वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएंगे:

परंतु यह कि –

क. उप-खंड (i) के तहत दी जाने वाली जानकारी सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटी के वेबसाइट पर डाली जाएगी और जो वेबसाइट पर कम से कम पाँच वर्षों तक रहेगी, और उसके बाद सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटी की अभिलेखों संबंधी नीति (आर्काइवल पॉलिसी) [जो उसके वेबसाइट पर प्रकट (डिस्क्लोज़) की गई हो] के अनुसार रखी जाएगी।

ख. उप-खंड (ii) के तहत दी जाने वाली जानकारी सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटी के वेबसाइट पर डाली जाएगी और जिसे विनियम 9 के खंड (क) के अनुसार रखा जाएगा।

ऑडियो / वीडियो रिकॉर्डिंग और ट्रांसक्रिप्ट को प्रकट (डिस्क्लोज़) किए जाने से संबंधित अपेक्षा का पालन 1 अप्रैल, 2021 से स्वैच्छिक आधार पर किया जा सकेगा और 1 अप्रैल, 2022 से अनिवार्य रूप से करना होगा।"

ग) खंड (ध) के पश्चात् एक नया परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

"परंतु यह कि सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटी, जिसकी समनुषंगी (सब्सिडियरी) भारत के बाहर निगमित हो, –

(क) जहाँ ऐसी समनुषंगी (सब्सिडियरी) के लिए उस देश (जहाँ वह निगमित हो) के किन्हीं कानूनी प्रावधानों के तहत समेकित वित्तीय विवरण तैयार करना कानूनन जरूरी हो, वहाँ इस परंतुक की अपेक्षा तब पूरी हो जाएगी जब ऐसी समनुषंगी (सब्सिडियरी) का समेकित वित्तीय विवरण सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटी के वेबसाइट पर डलवा दिया जाए;

(ख) जहाँ ऐसी समनुषंगी (सब्सिडियरी) के लिए उस देश (जहाँ वह निगमित हो) के किन्हीं कानूनी प्रावधानों के तहत अपने वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा (का ऑडिट) करवाना जरूरी न हो और जो ऐसे वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा (का ऑडिट) न करवाती हो, वहाँ भारत की नियंत्री (धारिता / होल्डिंग) सूचीबद्ध एंटिटी ऐसे अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरण अपने वेबसाइट पर डलवा सकेगी और जहाँ ऐसे वित्तीय विवरण अंग्रेजी को छोड़कर किसी अन्य भाषा में हों, वहाँ उन वित्तीय विवरणों की अंग्रेजी में अनूदित प्रति भी वेबसाइट पर डलवाई जाएगी।"

घ) खंड (ध) के नए परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित नए खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्,-

"(न) इन विनियमों के विनियम 24क के उप-विनियम (2) के अनुसार सेक्रेटेरियल कंप्लायंस रिपोर्ट;

(प) इन विनियमों के विनियम 30 के उप-विनियम (4) के खंड (ii) के अनुसार घटनाओं या जानकारी की महत्ता का निर्धारण करने के लिए बनाई गई नीति का प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र);

(फ) किसी घटना या जानकारी की महत्ता का निर्धारण करने के लिए और स्टॉक एक्सचेंज (स्टॉक एक्सचेंजों) को प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र) करने के लिए प्राधिकृत 'प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्तियों' (मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों / की मैनेजमेंट पर्सोनल) के संपर्क संबंधी ब्यौरों (संपर्क विवरण) का प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र), जैसा इन विनियमों के विनियम 30 के उप-विनियम (5) के अनुसार अपेक्षित है;

(ब) इन विनियमों के विनियम 30 के उप-विनियम (8) के अनुसार प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र);

(भ) इन विनियमों के विनियम 32 के अनुसार विचलन (विचलनों) [डेविएशन] या फेरफार [वेरिएशन] के विवरण;

(म) बाजार पूँजीकरण (मार्केट कैपिटलाइज़ेशन) के आधार पर निर्धारित सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटियों द्वारा बनाई गई लाभांश वितरण नीति, जिसका उल्लेख विनियम 43क के उप-विनियम (1) में किया गया है;

(य) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 और इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार वार्षिक विवरणी (रिटर्न)।"

XXVIII. विनियम 47 में, उप-विनियम (1) में, खंड (क) एवं (ग) का लोप हो जाएगा।

XXIX. विनियम 52 में, उप-विनियम (3) में, खंड (ख) का लोप हो जाएगा।

XXX. विनियम 94 में,

i. उप-विनियम (2) में, शब्दों "आपत्ति पत्र या" का लोप हो जाएगा और शब्द "अभिनिश्चित" के लिए, शब्द "सुनिश्चित" प्रतिस्थापित हो जाएगा।

ii. उप-विनियम (3) में, शब्दों तथा चिह्नों "संप्रेक्षण पत्र (ऑबजर्वेशन लेटर) या" का लोप हो जाएगा और शब्दों "संप्रेक्षण पत्र या" का लोप हो जाएगा।

iii. उप-विनियम (3) में, परंतुक में, शब्दों और चिह्नों " 'संप्रेक्षण पत्र' या" का लोप हो जाएगा।

iv. उप-विनियम (4) में, चिह्नों और शब्दों ", यथास्थिति, संप्रेक्षणों या" का लोप हो जाएगा।

XXXI. अनुसूची-II में,

i. भाग-ग में, पैरा क में, खंड (21) के पश्चात्, निम्नलिखित नया खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

"(22) विलय (विलयन / मर्जर), अविलयन (डीमर्जर), समामेलन (अमैलगमेशन), आदि से संबंधित स्कीमों के तर्काधार, लागत-लाभ (कॉस्ट-बेनिफिट) और उनका सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटी तथा उसके शेयरधारकों पर पड़ने वाले प्रभाव पर विचार करना और उन पर टिप्पणी देना।"

ii. भाग-घ में, मौजूदा शीर्षक "[विनियम 19(4) एवं 20(4) *देखें*]", शीर्षक "[विनियम 19(4), 20(4) एवं 21(4) *देखें*]" से प्रतिस्थापित हो जाएगा।

iii. भाग-घ में, पैरा ख के पश्चात्, एक नया पैरा अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

"ग. जोखिम प्रबंधन समिति (रिस्क मैनेजमेंट कमेटी)

समिति की भूमिका में, *अन्य बातों के साथ-साथ*, निम्नलिखित शामिल होगा:

(1) एक ब्यौरेवार जोखिम प्रबंधन नीति बनाना, जिसमें निम्नलिखित शामिल होगा:

(क) सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटी द्वारा खास तौर पर जिन आंतरिक और बाहरी जोखिमों का सामना किया जाता है उनकी पहचान करने के लिए ढाँचा, जिनमें विशेष रूप से वित्तीय जोखिम, कामकाज से जुड़े जोखिम (ऑपरेशनल रिस्क), क्षेत्र (सेक्टर) से जुड़े जोखिम, सस्टेनिबिलिटी (खास तौर पर ईएसजी) से जुड़े जोखिम, जानकारी से जुड़े जोखिम, साइबर सुरक्षा से जुड़े जोखिम शामिल हैं या ऐसा कोई अन्य जोखिम शामिल है जो समिति द्वारा बताया जाए।

(ख) जोखिम को कम करने से संबंधित उपाय, जिनमें उन जोखिमों हेतु आंतरिक नियंत्रण की व्यवस्थाएँ और प्रक्रियाएँ शामिल होंगी, जिनकी पहचान कर ली गई हो।

(ग) सतत कारोबार योजना (बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान)।

(2) यह सुनिश्चित करना कि कंपनी के कारोबार से जुड़े जोखिमों पर नज़र रखने के लिए और उनका आकलन करने के लिए उपयुक्त पद्धति, प्रक्रियाएँ और व्यवस्थाएँ निर्धारित हों;

(3) इस बात पर नज़र रखना कि जोखिम प्रबंधन नीति को कैसे अमल में लाया जा रहा है, और यह आकलन करना भी शामिल है कि जोखिम प्रबंधन की व्यवस्थाएँ पर्याप्त हैं या नहीं;

(4) उद्योग (इंडस्ट्री) में किस तरह के बदलाव हो रहे हैं और किस तरह की जटिलताएँ सामने आ रही हैं, उन्हें भी ध्यान में रखते हुए जोखिम प्रबंधन नीति की समय-समय पर समीक्षा करना (कम से कम दो वर्षों में एक बार);

(5) निदेशक मंडल (निदेशक बोर्ड) को यह अवगत कराते रहना कि उसकी चर्चाओं में किन-किन मुद्दों पर चर्चा हुई, क्या-क्या सिफारिशें की गईं और क्या-क्या कार्रवाइयाँ की जानी हैं;

(6) मुख्य जोखिम अधिकारी (चीफ रिस्क ऑफिसर) [यदि कोई हो] की नियुक्ति, उसे हटाए जाने और उसके पारिश्रमिक की शर्तों आदि की समीक्षा जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा की जाएगी । जोखिम प्रबंधन समिति अपने कार्यों के संबंध में उन मामलों में दूसरी समितियों के साथ समन्वय, निदेशक मंडल (निदेशक बोर्ड) द्वारा निर्धारित किए गए ढांचे के अनुसार करेगी, जहाँ उसके कार्य ऐसी दूसरी समितियों के दायरे में आ रहे हों ।"

XXXII. अनुसूची-III में,

i. भाग-क में, पैरा क में, खंड 4 में, उप-खंड (झ) के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

"परंतु यह कि यदि बोर्ड की बैठकें एक दिन से ज्यादा चलें, तो जिस दिन की बैठक में वित्तीय परिणामों पर विचार किया गया हो, उस दिन हुई बैठक के समाप्त होने के तीस मिनट के भीतर वित्तीय परिणाम प्रकट (डिस्क्लोज़) किए जाएंगे ।"

ii. भाग-क में, पैरा क में, खंड (7ख) में, शब्द "लेखापरीक्षक", शब्दों "स्वतंत्र निदेशक" से प्रतिस्थापित हो जाएगा ।

iii. भाग-क में, पैरा क में, मौजूदा खंड 9 निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

"9. बैंकों / वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋणों / उधारों के संबंध में समाधान योजना (रेज़ोल्यूशन प्लान) / पुनर्संरचना (रीस्ट्रक्चरिंग), जिसमें निम्नलिखित ब्यौरे शामिल हों:

(i) ऋणों / उधारों के संबंध में समाधान (रेज़ोल्यूशन) की प्रक्रिया शुरू किए जाने का निर्णय;

(ii) उधारदाताओं (उधार देने वालों) द्वारा इंटर-क्रेडिटर एग्रीमेंट (आईसीए) पर हस्ताक्षर;

(iii) समाधान योजना (रेज़ोल्यूशन प्लान) को अंतिम रूप देना;

(iv) समाधान योजना (रेज़ोल्यूशन प्लान) को अमल में लाना;

(v) उधारदाताओं (उधार देने वालों) द्वारा तय की गई समाधान योजना (रेज़ोल्यूशन प्लान) / पुनर्संरचना संबंधी योजना (रीस्ट्रक्चरिंग प्लान) की मुख्य बातें, जिनमें कारोबार से जुड़ी गोपनीय जानकारी आदि (कमर्शियल सीक्रेट) शामिल नहीं है ।"

iv. भाग-क में, पैरा क में, मौजूदा खंड 15 निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

"15 (क) विश्लेषकों (एनालिस्ट) या संस्थागत निवेशकों (इंस्टिट्यूशनल इन्वेस्टर्स) की बैठक की समय-सारणी (कार्यक्रम-सूची) और सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटी द्वारा विश्लेषकों या संस्थागत निवेशकों को दिए गए प्रेजेंटेशन ।

स्पष्टीकरण: इस खंड के प्रयोजनार्थ, 'बैठक' से सामूहिक बैठकें (ग्रुप मीटिंग) या सामूहिक (ग्रुप) कॉन्फ्रेन्स कॉल अभिप्रेत होंगे, जिनमें मौजूदगी आमने-सामने रही हो या जिनका आयोजन डिजिटल माध्यमों के जरिए किया गया हो ।

(ख) *पोस्ट अर्निंग्स / क्वार्टर्ली कॉल* (जिनमें मौजूदगी आमने-सामने रही हो या जिनका आयोजन डिजिटल माध्यमों के जरिए किया गया हो), फिर चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाए, की

ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग और ट्रांसक्रिप्ट, जिन्हें मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (स्टॉक एक्सचेंजों) के पास प्रस्तुत किए जाने के साथ-साथ:

(i) प्रेजेंटेशन और ऑडियो / वीडियो रिकॉर्डिंग वेबसाइट पर तुरंत उपलब्ध कराई जाएंगी और किसी भी दशा में, व्यापार के अगले दिन (अगले ट्रेडिंग डे) से पहले या ऐसे कॉल के समाप्त होने से चौबीस घंटों के भीतर, जो भी पहले हो;

(ii) ऐसे कॉल के ट्रांसक्रिप्ट, ऐसे कॉल के समाप्त होने की तारीख से पाँच कार्य-दिवसों के भीतर, वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएंगे:

ऑडियो / वीडियो रिकॉर्डिंग और ट्रांसक्रिप्ट को प्रकट (डिस्क्लोज़) किए जाने से संबंधित अपेक्षा का पालन 1 अप्रैल, 2021 से स्वैच्छिक आधार पर किया जा सकेगा और 1 अप्रैल, 2022 से अनिवार्य रूप से करना होगा।"

XXXIII. अनुसूची-V में,

i. पैरा-ग में, खंड (5) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

"(5) हितधारक संबंध समिति (स्टेकहोल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी)

(क) समिति की अध्यक्षता करने वाले गैर-कार्यपालक निदेशक (नॉन-एग्ज़िक्यूटिव डायरेक्टर) का नाम;

(ख) अनुपालन अधिकारी (कंप्लायंस ऑफिसर) का नाम और पदनाम;

(ग) वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त शेयरधारकों की शिकायतों की संख्या;

(घ) उन शिकायतों की संख्या, जिनके निवारण से शेयरधारक संतुष्ट न हों;

(ङ) लंबित शिकायतों की संख्या।"

ii. पैरा-ग में, खंड (5) के पश्चात् एक नया खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

"(5क) जोखिम प्रबंधन समिति (रिस्क मैनेजमेंट कमेटी)

(क) विचारार्थ विषयों (टर्म्स ऑफ रेफरेंस) का संक्षिप्त विवरण;

(ख) संरचना, सदस्यों और अध्यक्ष का नाम;

(ग) वर्ष के दौरान हुई बैठकें और उनमें उपस्थिति;"

iii. पैरा-ग में, खंड (6) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

"(6) निदेशकों का पारिश्रमिक

(क) गैर-कार्यपालक निदेशकों (नॉन-एग्ज़िक्यूटिव डायरेक्टर्स) और सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटी के बीच समस्त धनीय (आर्थिक) संबंध या लेनदेन (संव्यवहार / ट्रांजैक्शन);

(ख) गैर-कार्यपालक निदेशकों को भुगतान किए जाने से संबंधित मानदंड। वैकल्पिक रूप से, इन्हें सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटी के वेबसाइट पर डाला जा सकेगा और इनका संदर्भ वार्षिक रिपोर्ट में दिया जा सकेगा;

(ग) पारिश्रमिक के संबंध में प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र): कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार किए जाने वाले प्रकटीकरणों के अलावा, निम्नलिखित प्रकटीकरण भी किए जाएंगे:

(i) प्रत्येक निदेशक के पारिश्रमिक के पैकेज की सभी मदें, जिन्हें संक्षिप्त रूप में मुख्य वर्गों (जैसे वेतन, फायदे, बोनस, स्टॉक ऑप्शन्स, पेंशन, आदि) के रूप में दर्शाया जाए;

(ii) निश्चित तौर पर मिलने वाला पारिश्रमिक और कार्य-निष्पादन (परफॉर्मेंस) के आधार पर दिए जाने वाले प्रोत्साहन के ब्यौरे, इसके अलावा कार्य-निष्पादन के मूल्यांकन के मानदंड भी बताए जाएं;

(iii) सर्विस कॉण्ट्रैक्ट, नोटिस की अवधि, हटाए जाने पर अदा की जाने वाली रकम (सेवरेंस फीस);

(iv) स्टॉक ऑप्शन, यदि कोई हों, के ब्यौरे और क्या वे डिस्काउंट पर जारी (इश्यू) किए गए, और साथ ही वह अवधि कि कब तक वे जमा होंगे और कब तक वे लिए जा सकेंगे।"

iv. पैरा-ग में, खंड (10) में, उप-खंड (ग) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

"(ग) सतर्कता संबंधी व्यवस्था (विजिल मैकेनिज़्म) / पर्दाफाश किए जाने संबंधी नीति (विसल ब्लोअर पॉलिसी) निर्धारित किए जाने संबंधी ब्यौरे, और साथ ही इस बात की भी पुष्टि कि किसी भी कर्मचारी (कार्मिक / कर्मी) को लेखापरीक्षा समिति (ऑडिट कमेटी) से संपर्क करने से रोका नहीं गया है;"

XXXIV. अनुसूची-XI में, चिह्न और अंक "₹5,00,000/-", शब्दों "पाँच लाख रुपये" से प्रतिस्थापित हो जाएंगे।

अजय त्यागी, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./55/2021-22]

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/013, 2 सितम्बर 2015 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।

2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 तत्पश्चात् :

   क) 22 दिसम्बर, 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2015, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/027, द्वारा

   ख) 25 मई, 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2016, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/001, द्वारा

   ग) 8 जुलाई, 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2016, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/008, द्वारा

   घ) 4 जनवरी, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2016, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/025, द्वारा

   ङ) 15 फरवरी, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी./एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/29, द्वारा

   च) 6 मार्च, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/037 [तारीख 29 मार्च, 2017 को अधिसूचित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का भुगतान और

भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/038 के साथ पठित], द्वारा

छ) 9 मई, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. एसईबीआई/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2018/10, द्वारा

ज) 30 मई, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/13, द्वारा

झ) 1 जून, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/21, द्वारा

ञ) 8 जून, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/24, द्वारा

ट) 6 सितम्बर, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/30, द्वारा

ठ) 16 नवम्बर, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (छठा संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/47, द्वारा

ड) 29 मार्च, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/07, द्वारा

ढ) 7 मई, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/12, द्वारा

ण) 27 जून, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/22, द्वारा

त) 29 जुलाई, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2019/28, द्वारा

थ) 26 दिसम्बर, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/45, द्वारा

द) 10 जनवरी, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/02, द्वारा

ध) 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एनआरओ/जीएन/2020/10, द्वारा

न) 5 अगस्त, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/25, द्वारा

प) 8 अक्तूबर, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/33, द्वारा

फ) 8 जनवरी, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन/2021/02, द्वारा

संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 5th May, 2021

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (LISTING OBLIGATIONS AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) (SECOND AMENDMENT) REGULATIONS, 2021

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/22. –In exercise of the powers conferred by section 11, sub-section (2) of section 11A and section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) read with section 31 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, namely: -

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2021.

2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. In the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015,-

I. In regulation 2,

i. in sub-regulation (1),

a. the words, figures and symbols "Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009", wherever it occurs, shall be substituted with the words, figures and symbols "Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018".

b. in clause (r), the letters and symbols "(a)" and "106N" shall be substituted with the letters and symbol "(ee)" and "2", respectively.

c. in clause (v), the letter and symbol "(x)" shall be substituted with the letters and symbol "(kk)".

d. in clause (w), the letters and symbol "(za)" and "(zb)" shall be substituted with the letters and symbol "(oo)" and "(pp)", respectively.

e. in clause (zi), the letters "XB" shall be substituted with the letters "IX".

f. in clause (zj), the letters and symbol "(c)" and "(106N)" shall be substituted with the letters and symbol "(ddd)" and "2", respectively.

g. in clause (zl), the letters and symbol (zj) shall be substituted with letters and symbol "(eee)".

h. after clause (zm), a new clause shall be inserted, namely, -

"(zn) "working days" means working days of the stock exchange where the securities of the entity are listed."

II. In regulation 3,

i. the existing provision under regulation 3 shall be numbered as sub-regulation (1).

ii. under the newly numbered sub-regulation (1), the word "the" appearing after the word "to" and before the word "listed" shall be substituted with the word "a" and the word "who" shall be substituted with the word "which".

iii. under the newly numbered sub-regulation (1), under clause (a), the words "Institutional Trading Platform" shall be substituted with the words "Innovators Growth Platform".

iv. after the newly numbered sub-regulation (1), a new sub-regulation shall be inserted, namely, -

"(2) The provisions of these regulations which become applicable to listed entities on the basis of market capitalisation criteria shall continue to apply to such entities even if they fall below such thresholds."

III. in regulation 4, in sub-regulation (2), in clause (d), in sub-clause (iv), the words and symbols "vigil mechanism/" shall be inserted after the word "effective" and before the word "whistle" and the word "mechanism" shall be substituted with the word "policy".

IV. in regulation 6, in the heading, the symbol and word "/her" shall be inserted after the word "his".

V. in regulation 7, in sub-regulation (3), the words "one month of" shall be substituted with the words "thirty days from the" and the words "each half of" shall be omitted.

VI. in regulation 15,

i. in sub-regulation (1), the words "institutional trading platform" shall be substituted with the words "Innovators Growth Platform".

ii. in sub-regulation (2),

a. the word, symbol and letter "and (t)" shall be inserted after the symbol and letter "(i)".

b. in clause (a), the word "the" appearing before the words "listed entity" shall be substituted with the word "a".

c. under clause (a), the existing proviso shall be substituted with the following, namely, -

"Provided that where the provisions of regulations 17 to 27, clauses (b) to (i) and (t) of sub-regulation (2) of regulation 46 and para C, D and E of Schedule V become applicable to a listed entity at a later date, it shall ensure compliance with the same within six months from such date."

d. under clause (a), after the existing proviso, the following new proviso shall be inserted, namely, -

"Provided further that once the above regulations become applicable to a listed entity, they shall continue to remain applicable till such time the equity share capital or the net-worth of such entity reduces and remains below the specified threshold for a period of three consecutive financial years."

e. in clause (b), the word "the" appearing before the words "listed entity" shall be substituted with the word "a".

f. under clause (b), the proviso shall stand omitted with effect from September 01, 2021.

VII. in regulation 17A, the paragraph after clause (2) shall be converted as "Explanation" and the word "sub-regulation" in the paragraph shall be substituted with the word "regulation".

VIII. in regulation 18, in sub-regulation (1), in clause (d), the symbol and word "/she" shall be inserted after the word "he".

IX. In regulation 21,

i. the existing sub-regulation (2) shall be substituted with the following, namely, -

"The Risk Management Committee shall have minimum three members with majority of them being members of the board of directors, including at least one independent director and in case of a listed entity having outstanding SR equity shares, at least two thirds of the Risk Management Committee shall comprise independent directors."

ii. in sub-regulation (3A), the word "once" shall be substituted with the word "twice".

iii. after sub-regulation (3A) and before sub-regulation (4), the following new sub-regulations (3B) and (3C) shall be inserted, namely, -

"(3B) The quorum for a meeting of the Risk Management Committee shall be either two members or one third of the members of the committee, whichever is higher, including at least one member of the board of directors in attendance.

(3C) The meetings of the risk management committee shall be conducted in such a manner that on a continuous basis not more than one hundred and eighty days shall elapse between any two consecutive meetings."

iv. after sub-regulation (4), the following new proviso shall be inserted, namely, -

"Provided that the role and responsibilities of the Risk Management Committee shall mandatorily include the performance of functions specified in Part D of Schedule II."

v. in sub-regulation (5), the number "500" shall be substituted with the number "1000".

vi. after sub-regulation (5), the following new sub-regulation shall be inserted, namely, -

"(6) The Risk Management Committee shall have powers to seek information from any employee, obtain outside legal or other professional advice and secure attendance of outsiders with relevant expertise, if it considers necessary."

X. in regulation 22, in sub-regulation (1), the symbol and words "/whistle blower policy" shall be inserted after the word "mechanism".

XI. in regulation 24, in sub-regulation (5), the words "or equal to" shall be inserted after the words "less than" and before the words "fifty percent".

XII. in regulation 24A,

i. in the heading, the words "and Secretarial Compliance Report" shall be inserted after the words "Secretarial Audit".

ii. the existing provision at regulation 24A shall be numbered as sub-regulation (1) and substituted with the following, namely, -

"(1) Every listed entity and its material unlisted subsidiaries incorporated in India shall undertake secretarial audit and shall annex a secretarial audit report given by a company secretary in practice, in such form as specified, with the annual report of the listed entity."

iii. after the newly numbered sub-regulation (1), a new sub-regulation shall be inserted, namely, -

"(2) Every listed entity shall submit a secretarial compliance report in such form as specified, to stock exchanges, within sixty days from end of each financial year."

XIII. in regulation 25,

i. in sub-regulation (3), the word "financial" shall be inserted after the words "meeting in a" and before the word "year".

ii. in sub-regulation (5) and in sub-regulation (8), wherever applicable, the symbol and word "/her" shall be inserted after the word "his" and the symbol and word "/she" shall be inserted after the word "he".

XIV. in regulation 26,

i. in sub-regulation (1), the symbol and word "/she" shall be inserted after the word "he".

ii. in sub-regulation (6), the symbol and word "/herself" shall be inserted after the word "himself".

iii. sub-regulation (4) shall be omitted.

XV. in regulation 27, in sub-regulation (2), in clause (a), the word "fifteen" shall be substituted with the words "twenty one" and the words "close of the" shall be substituted with the words "the end of each".

XVI. in regulation 29, in sub-regulation (1), in clause (f), the words "where such proposal is communicated to the board of directors of the listed entity as part of the agenda papers." shall be omitted.

XVII. in regulation 30, in sub-regulation (6), in the second proviso, the words "thirty minutes of the conclusion of the board meeting." shall be substituted with the words "the timelines specified therein".

XVIII. in regulation 31A,

i. sub-regulation (3) and clause (a) shall be substituted with the following namely, -

"(3) Reclassification of status of a promoter to public shall be permitted by the stock exchanges only upon satisfaction of the following conditions:

(a) an application for reclassification has been made by the listed entity to the stock exchanges within thirty days from the date of approval by shareholders in general meeting after ensuring that the following procedural requirements have been fulfilled:

(i) the promoter(s) seeking reclassification has made a request for reclassification to the listed entity along with a rationale for the same and a description as to how the conditions specified in clause (b) of sub-regulation (3) of this regulation are satisfied;

(ii) the board of directors of the listed entity has analyzed such request in the immediately next board meeting or within three months from the date of receipt of the request from its promoter(s), whichever is earlier and has placed the same before the shareholders in a general meeting for approval along with the views of the board of directors on the request:

Provided that there shall be a time gap of at least one month but not exceeding three months between the dates of the board meeting and the shareholders' meeting considering the request of the promoter(s) seeking reclassification.

(iii) the request of the promoter(s) seeking reclassification has been approved in the general meeting by an ordinary resolution in which the promoter(s) seeking reclassification and the persons related to him/her/it have not voted to approve such reclassification request:

Provided that the provisions of this sub-clause shall not apply in cases:

(a) where the promoter(s) seeking reclassification and persons related to the promoter(s) seeking reclassification, together, do not hold more than one percent of the total voting rights in the listed entity;

(b) where reclassification is pursuant to a divorce."

ii. In sub-regulation (4),

a) in clause (a), the symbol and word "/she" shall be inserted after the word "he".

b) in clause (b), the symbol and word "/she" shall be inserted after the word "he".

iii. sub-regulation (9) shall be substituted with the following, namely, -

"(9) The provisions of sub-regulations (3), (4) and clauses (a) and (b) of sub-regulation (8) of this regulation shall not apply if reclassification of promoter(s) is as per the resolution plan approved under section 31 of the Insolvency Code or pursuant to an order of a Regulator under any law subject to the condition that such promoter(s) seeking reclassification shall not remain in control of the listed entity."

iv. after sub-regulation (9), a new sub-regulation shall be inserted, namely,-

"(10) In case of reclassification pursuant to an open offer or a scheme of arrangement, the provisions of clause (a) of sub-regulation (3) and clauses (a) and (b) of sub-regulation (8) of this regulation shall not apply if the intent of the erstwhile promoter(s) to reclassify has been disclosed in the letter of offer or scheme of arrangement:

Provided that the provisions of clause (c)(i) of sub-regulation (3) of this regulation shall not apply in case of reclassification pursuant to an open offer.**"**

XIX. in regulation 32,

i. in sub-regulation (6), the words "within forty-five days from the end of each quarter." shall be inserted after the words "from the monitoring agency".

ii. in sub-regulation (7), the Explanation shall be substituted as under, namely,-

"Explanation. - For the purpose of sub-regulations (6) and (7), "monitoring agency" shall mean the monitoring agency as specified in the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018."

XX. in regulation 33,

i. in sub-regulation (1), in clause (d), the symbol and word "/herself" shall be inserted after the word "himself".

ii. sub-regulation (6) shall be omitted.

XXI. in regulation 34, in sub-regulation (2), the existing clause (f) shall be substituted with the following, namely, -

"(f) for the top one thousand listed entities based on market capitalization, a business responsibility report describing the initiatives taken by the listed entity from an environmental, social and governance perspective, in the format as specified by the Board from time to time:

Provided that the requirement of submitting a business responsibility report shall be discontinued after the financial year 2021–22 and thereafter, with effect from the financial year 2022–23, the top one thousand listed entities based on market capitalization shall submit a business responsibility and sustainability report in the format as specified by the Board from time to time:

Provided further that even during the financial year 2021–22, the top one thousand listed entities may voluntarily submit a business responsibility and sustainability report in place of the mandatory business responsibility report:

Provided further that the remaining listed entities including the entities which have listed their specified securities on the SME Exchange, may voluntarily submit such reports.

Explanation: For the purpose of this clause, market capitalization shall be calculated as on the 31st day of March of every financial year."

XXII. in regulation 36,

i. in sub-regulation (3), in clause (b), the word "his" shall be omitted.

ii. in sub-regulation (3), in clause (e), the words "in the listed entity, including shareholding as a beneficial owner." shall be inserted after the word "directors".

XXIII. in regulation 37,

i. in sub-regulation (1) and in sub-regulation (2), the words "Observation Letter or", wherever it appears, shall be substituted with the word "the".

ii. in sub-regulation (3) and in the proviso under sub-regulation (3), the words "Observation letter or" and the words and symbol "'Observation Letter' or" shall be omitted.

XXIV. in regulation 38, the words "Institutional Trading Platform" shall be substituted with the words "Innovators Growth Platform".

XXV. in regulation 40, in sub-regulation (9), the words "one month of" shall be substituted with the words "thirty days from" and the words "each half of" shall be omitted.

XXVI. in regulation 43A,

i. in sub-regulation (1), the words "five hundred" shall be substituted with the figures "1000" and the words "in their annual reports and on their websites" shall be substituted with the words "on the website of the listed entity and a web-link shall also be provided in their annual reports".

ii. sub-regulation (3) shall be substituted with the following, namely, -

"(3) The listed entities other than those specified at sub-regulation (1) of this regulation may disclose their dividend distribution policies on a voluntary basis on their websites and provide a web-link in their annual reports."

XXVII. in regulation 44, in sub-regulation (3), the words "forty eight hours" shall be substituted with the words "two working days".

XXVIII. in regulation 45, sub-regulation (3) shall be substituted with the following, namely, -

"Upon compliance with the conditions for change of name laid down in Companies Act, 2013 and rules made thereunder, the listed entity, in the explanatory statement to the notice seeking shareholders' approval for change in name, shall include a certificate from a practicing chartered accountant stating compliance with conditions provided in sub-regulation (1)."

XXIX. in regulation 46,

i. in sub-regulation (2),

a) the existing clause (o) shall be substituted with the following, namely, -

"(o) Schedule of analysts or institutional investors meet and presentations made by the listed entity to analysts or institutional investors.

Explanation: For the purpose of this clause 'meet' shall mean group meetings or group conference calls conducted physically or through digital means."

b) after clause (o), a new clause (oa) shall be inserted, namely, -

"(oa) Audio or video recordings and transcripts of post earnings/quarterly calls, by whatever name called, conducted physically or through digital means, simultaneously with submission to the recognized stock exchange(s), in the following manner:

(i) the presentation and the audio/video recordings shall be promptly made available on the website and in any case, before the next trading day or within twenty-four hours from the conclusion of such calls, whichever is earlier;

(ii) the transcripts of such calls shall be made available on the website within five working days of the conclusion of such calls:

Provided that—

a. The information under sub-clause (i) shall be hosted on the website of the listed entity for a minimum period of five years and thereafter as per the archival policy of the listed entity, as disclosed on its website.

b. The information under sub-clause (ii) shall be hosted on the website of the listed entity and preserved in accordance with clause (a) of regulation 9.

The requirement for disclosure(s) of audio/video recordings and transcript shall be voluntary with effect from April 01, 2021 and mandatory with effect from April 01, 2022."

c) under clause (s) a new proviso shall be inserted, namely, -

"Provided that a listed entity, which has a subsidiary incorporated outside India—

(a) where such subsidiary is statutorily required to prepare consolidated financial statement under any law of the country of its incorporation, the requirement of this proviso shall be met if consolidated financial statement of such subsidiary is placed on the website of the listed entity;

(b) where such subsidiary is not required to get its financial statement audited under any law of the country of its incorporation and which does not get such financial statement audited, the holding Indian listed entity may place such unaudited financial statement on its website and where such financial statement is in a language other than English, a translated copy of the financial statement in English shall also be placed on the website."

d) after the new proviso to clause (s), the following new clauses shall be inserted, namely, -

"(t) secretarial compliance report as per sub-regulation (2) of regulation 24A of these regulations;

(u) disclosure of the policy for determination of materiality of events or information required under clause (ii), sub-regulation (4) of regulation 30 of these regulations;

(v) disclosure of contact details of key managerial personnel who are authorized for the purpose of determining materiality of an event or information and for the purpose of making disclosures to stock exchange(s) as required under sub-regulation (5) of regulation 30 of these regulations;

(w) disclosures under sub-regulation (8) of regulation 30 of these regulations;

(x) statements of deviation(s) or variation(s) as specified in regulation 32 of these regulations;

(y) dividend distribution policy by listed entities based on market capitalisation as specified in sub-regulation (1) of regulation 43A;

(z) annual return as provided under section 92 of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder."

XXX. in regulation 47, in sub-regulation (1), clauses (a) and (c) shall be omitted.

XXXI. in regulation 52, in sub-regulation (3), clause (b) shall be omitted.

XXXII. In regulation 94,

i. in sub-regulation (2), the words "Objection Letter or" shall be omitted.

ii. in sub-regulation (3), the words "Observation Letter or", wherever it appears, shall be omitted.

iii. in sub-regulation (3), in the proviso, the words and symbols "'Observation Letter' or" shall be omitted.

iv. in sub-regulation (4), the words "observations or" and the words "as the case may be" shall be omitted.

XXXIII. in Schedule II,

i. in Part C, in Paragraph A, after clause (21), the following new clause shall be inserted, namely, -

"(22) consider and comment on rationale, cost-benefits and impact of schemes involving merger, demerger, amalgamation etc., on the listed entity and its shareholders."

ii. in Part D, the existing heading "[See Regulation 19(4) and 20(4)]" shall be substituted with the heading "[See Regulation 19(4), 20(4) and 21(4)]".

iii. in Part D, after Paragraph B, a new Paragraph shall be inserted, namely, -

"C. Risk Management Committee

The role of the committee shall, *inter alia*, include the following:

(1) To formulate a detailed risk management policy which shall include:

(a) A framework for identification of internal and external risks specifically faced by the listed entity, in particular including financial, operational, sectoral, sustainability (particularly, ESG related risks), information, cyber security risks or any other risk as may be determined by the Committee.

(b) Measures for risk mitigation including systems and processes for internal control of identified risks.

(c) Business continuity plan.

(2) To ensure that appropriate methodology, processes and systems are in place to monitor and evaluate risks associated with the business of the Company;

(3) To monitor and oversee implementation of the risk management policy, including evaluating the adequacy of risk management systems;

(4) To periodically review the risk management policy, at least once in two years, including by considering the changing industry dynamics and evolving complexity;

(5) To keep the board of directors informed about the nature and content of its discussions, recommendations and actions to be taken;

(6) The appointment, removal and terms of remuneration of the Chief Risk Officer (if any) shall be subject to review by the Risk Management Committee.

The Risk Management Committee shall coordinate its activities with other committees, in instances where there is any overlap with activities of such committees, as per the framework laid down by the board of directors."

iv. in Part E, at Paragraph A, the symbol and word "/her" shall be inserted after the word "his".

XXXIV. In Schedule III,

i. in Part A, in Paragraph A, in clause 4, the following shall be inserted after the sub-clause (i), namely, -

"Provided that in case of board meetings being held for more than one day, the financial results shall be disclosed within thirty minutes of end of the meeting for the day on which it has been considered."

ii. in Part A, in Paragraph A, in clause (7B), the word "auditor" shall be substituted with the words "independent director".

iii. in Part A, in Paragraph A, the existing clause 9 shall be substituted with the following, namely, -

"9. Resolution plan/Restructuring in relation to loans/borrowings from banks/financial institutions including the following details:

(i) Decision to initiate resolution of loans/borrowings;

(ii) Signing of Inter-Creditors Agreement (ICA) by lenders;

(iii) Finalization of Resolution Plan;

(iv) Implementation of Resolution Plan;

(v) Salient features, not involving commercial secrets, of the resolution/restructuring plan as decided by lenders."

iv. in Part A, in Paragraph A, the existing clause 15 shall be substituted with the following, namely, -

"15 (a) Schedule of analysts or institutional investors meet and presentations made by the listed entity to analysts or institutional investors.

Explanation: For the purpose of this clause 'meet' shall mean group meetings or group conference calls conducted physically or through digital means.

(b) Audio or video recordings and transcripts of post earnings/quarterly calls, by whatever name called, conducted physically or through digital means, simultaneously with submission to the recognized stock exchange(s), in the following manner:

(i) the presentation and the audio/video recordings shall be promptly made available on the website and in any case, before the next trading day or within twenty-four hours from the conclusion of such calls, whichever is earlier;

(ii) the transcripts of such calls shall be made available on the website within five working days of the conclusion of such calls:

The requirement for disclosure(s) of audio/video recordings and transcript shall be voluntary with effect from April 01, 2021 and mandatory with effect from April 01, 2022."

XXXV. In Schedule IV,

i. In Part A, in Paragraph C, the symbol and word "/her" shall be inserted after the word "his".

XXXVI. In Schedule V,

i. in Paragraph C, in clause (2), sub-clause (j) the symbol and word "/her" shall be inserted after the word "his".

ii. in Paragraph C, clause (5) shall be substituted with the following, namely, -

"(5) Stakeholders' relationship committee

(a) name of the non-executive director heading the committee;

(b) name and designation of the compliance officer;

(c) number of shareholders' complaints received during the financial year;

(d) number of complaints not solved to the satisfaction of shareholders;

(e) number of pending complaints."

iii. in Paragraph C, after clause (5) a new clause shall be inserted, namely, -

"(5A) Risk management committee:

(a) brief description of terms of reference;

(b) composition, name of members and chairperson;

(c) meetings and attendance during the year;"

iv. in Paragraph C, clause (6) shall be substituted with the following, namely, -

"(6) Remuneration of directors

(a) all pecuniary relationship or transactions of the non-executive directors vis-à-vis the listed entity;

(b) criteria of making payments to non-executive directors. Alternatively, this may be disseminated on the listed entity's website and reference drawn thereto in the annual report;

(c) disclosures with respect to remuneration: in addition to disclosures required under the Companies Act, 2013, the following disclosures shall be made:

(i) all elements of remuneration package of individual directors summarized under major groups, such as salary, benefits, bonuses, stock options, pension etc;

(ii) details of fixed component and performance linked incentives, along with the performance criteria;

(iii) service contracts, notice period, severance fees;

(iv) stock option details, if any and whether issued at a discount as well as the period over which accrued and over which exercisable."

v. in Paragraph C, in clause (10), in sub-clause (c), the symbol "," after the word mechanism shall be substituted with the symbol "/".

XXXVII. In Schedule XI, the figure "Rs.5,00,000" shall be substituted with the words "five lakh rupees".

AJAY TYAGI, Chairman

[Advt.-III/4/Exty./55/2021-22]

Footnotes:

1. The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 were published in the Gazette of India on 2nd September 2015 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/013.
2. The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, were subsequently amended on:

a) December 22, 2015 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2015 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/27.

b) May 25, 2016 by Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2016 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/ 2016-17/001.

c) July 8, 2016 by Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2016 vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2016-17/008.

d) January 4, 2017 by Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2016 vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2016-17/025.

e) February 15, 2017 by Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2017 vide notification no. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/029.

f) March 6, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2017 vide Notification No. LAD-NRO/GN/2016- 17/037 read with March 29, 2017 by Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2017 vide notification no. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/38.

g) May 9, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2018 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/10.

h) May 30, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2018 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/13.

i) June 1, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2018 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/21.

j) June 8, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2018 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/24.

k) September 6, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fifth Amendment) Regulations, 2018 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/30.

l) November 16, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Sixth Amendment) Regulations, 2018 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/47.

m) March 29, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2019 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/07.

n) May 7, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2019, vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2019/12.

o) June 27, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2019, vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2019/22.

p) July 29, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2019, vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/28.

q) December 26, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fifth Amendment) Regulations, 2019, vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/45.

r) January 10, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2020, vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/02.

s) April 17, 2020 by SEBI (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020 vide no. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.

t) August 05, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2020, vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/25.

u) October 08, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2020, vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/33.

v) January 08, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2021, vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2021/02.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2021.05.06 16:16:34 +05'30'